



छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 492002

दूरभाष : 0771-2880911, 2880912, वेबसाइट : www.cgsec.gov.in, ई-मेल : cgsec.cg@nic.in

क्रमांक / एफ-53-2 / तीन(दो) / न.पा. / निर्वा.नामा. / 2024 / 2107

नवा रायपुर, दिनांक 11/11/2024

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-समस्त (छत्तीसगढ़)

विषय:-01 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर नगरपालिकाओं के आम/उप निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।

- संदर्भ:-(1) आयोग का आदेश क्रमांक 1547, 1703 एवं 1979 दिनांक क्रमशः 10.09.2024, 27.09.2024 एवं दिनांक 21.10.2024
- (2) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024
- (3) छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 702 दिनांक 08 नवम्बर 2024

कृपया आयोग के संदर्भित आदेशों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित आदेश क्रमांक (1) के माध्यम से नगरपालिका निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण (संशोधित) कार्यक्रम जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 12 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 30 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 3, 8(2), 8(3), 9 एवं 9(ख) में हुए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने 01 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए आयोग के संशोधित आदेश क्रमांक 2105 दिनांक 11.11.2024 द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम दिनांक 21.10.2024 में पुनः आंशिक संशोधन किया है। संशोधित आदेश दिनांक 11.11.2024 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)


सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग,
नवा रायपुर अटल नगर



छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 492002

दूरभाष : 0771-2880911, 2880912, वेबसाइट : www.cgsec.gov.in, ई-मेल : cgsec.cg@nic.in

—: : संशोधित आदेश : : —

नवा रायपुर दिनांक 11/11/2024

क्रमांक/एफ-53-2/तीन(दो)/न.पा./निर्वा.नामा./2024/2105 छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 12 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 30 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 702 दिनांक 08.11.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 3, 8(2), 8(3), 9 एवं 9(ख) में हुए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा 01 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि नियत करते हुए उसके आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पूर्व में आदेश क्रमांक 1547, 1703 एवं 1979 दिनांक क्रमशः 10.09.2024, 27.09.2024 एवं दिनांक 21.10.2024 द्वारा जारी कार्यक्रम (समय अनुसूची) में पुनः संशोधन करते हुए निम्नानुसार कार्यक्रम (समय अनुसूची) निर्धारित करता है :-

निर्वाचक नामावली तैयार करने का संशोधित कार्यक्रम

क्र.	कार्यवाही विवरण	निर्धारित तारीख
द्वितीय चरण		
13.	दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना	13.11.2024 बुधवार
14.	दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय	20.11.2024 बुधवार अपरान्ह 03.00 बजे तक
15.	दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख	24.11.2024 शनिवार
16.	प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	27.11.2024 बुधवार
17.	प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि	30.11.2024 शनिवार
18.	दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरुद्ध अपील करने की अंतिम तारीख	निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर
19.	परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना	05.12.2024 गुरुवार तक
20.	चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना	07.12.2024 शनिवार तक
21.	अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना	10.12.2024 मंगलवार तक
22.	निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन	11.12.2024 बुधवार

(राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे)

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग,
नवा रायपुर अटल नगर

प्रतिलिपि -

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
6. संभागीय आयुक्त बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर को सूचनार्थ।
7. संचालक, जनसंपर्क रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला-समस्त (छत्तीसगढ़) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव, अवर सचिव, मुख्य लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निज सचिव एवं सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त शाखा प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. गार्ड फाईल।



सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
नवा रायपुर अटल नगर



छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 492002

दूरभाष : 0771-2880911, 2880912, वेबसाइट : www.cgsec.gov.in, ई-मेल : cgsec.cg@nic.in

क्रमांक एफ-53-2/तीन(दो)/न.पा./निर्वा.नामा./2024/2108
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 11/11/2024

कलेक्टर एवं,
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन),
जिला-समस्त (छ.ग.)

विषय:-01 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर नगरपालिकाओं के आम/उप निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भ:-(1) आयोग का आदेश क्रमांक 1547, 1703 एवं 1979 दिनांक क्रमशः 10.09.2024, 27.09.2024 एवं दिनांक 21.10.2024

(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024

(3) छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 702 दिनांक 08 नवम्बर 2024

—000—

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 जारी किया गया है तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 702 दिनांक 08 नवम्बर 2024 के माध्यम से छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 को संशोधित किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु अध्यादेशों/राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है। जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 12 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 30 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 3, 8(2), 8(3), 9 एवं 9(ख) में हुए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा नियत 01 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर सभी पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए नगरपालिकाओं के वार्डों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किया जाना है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित अधिनियमों एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में आवश्यक संशोधन करते हुए निर्वाचक नामावली में सभी पात्र व्यक्तियों के नाम को स्वप्रेरणा से सम्मिलित किया जाना प्रावधानित किया गया है। उक्त संबंध में आयोग द्वारा निम्नानुसार विस्तृत निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. विधानसभा की अद्यतन निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचकों का नाम नगरपालिकाओं के वार्डों की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी, विधानसभा की निर्वाचक नामावली की अद्यतन सूची में 01 अक्टूबर 2024 की स्थिति में पात्र (18 वर्ष पूर्ण कर चुके) सभी मतदाताओं की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से वार्डवार विभाजित कर समस्त प्राधिकृत कर्मचारियों को उपलब्ध करावें।

2. जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से प्राधिकृत कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में विहित दावा प्ररूप (क/क-1) उपलब्ध करावें, ताकि वे सभी पात्र व्यक्तियों को दावा फार्म/प्ररूप उपलब्ध करा सकें।

3. जिला निर्वाचन अधिकारी, दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु चयनित स्थलों तथा निर्धारित समयावधि के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करावें, जिससे पात्र व्यक्तियों को दावा आवेदन प्रस्तुत करने में कोई असुविधा न हो।

4. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपरोक्त के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचित किया जावे ताकि निर्वाचक नामावली में पात्र व्यक्तियों का नाम सम्मिलित करने में उनसे सहयोग लिया जा सके।

5. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रयास करना चाहिए कि सभी पात्र व्यक्तियों से विहित प्ररूप में आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि 01 अक्टूबर 2024 की स्थिति में पात्र व्यक्तियों द्वारा पूर्व में विहित प्ररूप में दावा आवेदन प्रस्तुत किये गये थे, जिसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपात्र मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया था, तो ऐसे आवेदकों से पुनः आवेदन प्राप्त किये बगैर ही गहन जांच उपरांत पात्रता के संबंध में विनिश्चय कर निराकरण किया जावे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी दावा आवेदन पत्रों का निराकरण छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 4, 5 एवं 6 के अपेक्षानुसार किया जावे।

6. यद्यपि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण सावधानीपूर्वक किया जावेगा तथा किसी पात्र निर्वाचक का नाम छूटने की संभावना नहीं है तथापि यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आये कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हो पाया है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम नामावली में सम्मिलित कर सकता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 9(ख) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किया जाना प्रावधानित किया गया है। **नियम 9(ख) अंतर्गत स्वप्रेरणा से निर्वाचक नामावली में पात्र व्यक्तियों का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाए :-**

क. यदि किन्हीं कारणों से पात्र मतदाताओं के नामों को निर्वाचक नामावली में जोड़ा नहीं जा सका है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं को स्वप्रेरणा से गहन जांच उपरांत नगरपालिकाओं के वार्डों की निर्वाचक नामावली में जोड़ा जा सकता है।

ख. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा गहन जांच कराने उपरांत पूर्णतः संतुष्ट होने पर तथा संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने उपरांत ही स्वप्रेरणा से निर्वाचक नामावली में परिवर्धन की कार्यवाही किया जावे।

- ग. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से किसी प्रविष्टि का परिवर्धन करने के संबंध में लिये गये निर्णय के कारणों को अभिलिखित किया जावे और संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग करने पर, ऐसे निर्णय की एक प्रतिलिपि तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराया जावे।
- घ. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने विनिश्चय में यह भी उल्लेख किया जावे कि उक्त विनिश्चय से व्यथित व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध निर्वाचन नियम 6(5) के अनुसार निर्धारित अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
- ङ. अपील प्राधिकारी द्वारा व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने और समुचित जांच करने के पश्चात् अपील पर उपयुक्त आदेश पारित किया जावे तथा इस संबंध में अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।
- च. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही उपरांत स्वप्रेरणा से जोड़े गये नामों की सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध करायेगा।
7. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे (क/क-1) के निपटारे के पश्चात् नियमानुसार अनुपूरक सूची तैयार किया जावे। तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जावे तथा तत्पश्चात् तैयार अनुपूरक सूची के पी.डी.एफ. की सूक्ष्मता से जांच की जावे।
8. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पी.डी.एफ. की जांच उपरांत त्रुटिरहित पी.डी.एफ. को अंतिम मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जावे।
9. जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सहयोग कर रहे अन्य अधिकारी/कर्मचारी/व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निर्वाचक नामावली आदि तैयार करने के संबंध में पदीय कर्तव्यों का उल्लंघन किये जाने पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 3(क) में एवं मिथ्या घोषणाएं किये जाने पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 3(ख) में दण्ड (कारावास) तथा जुर्माने का प्रावधान है।
10. जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस निर्देश में वर्णित समस्त संशोधनों/अधिनियमों/नियम का गहनता से अध्ययन करने उपरांत पूर्ण सावधानी से पुनरीक्षण की कार्यवाही संपादित की जावे, ताकि शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार की जा सके।

(राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)


सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
नवा रायपुर अटल नगर